जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(कल्याण शाखा)

dwo.chaibasa@gmail.com
itda.chaibasa14@gmail.com

विज्ञापन संख्या 2386 (B) दिनांक 31-12-2025

पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service Procurement के आधार पर **घण्टी आधारित शिक्षकों** का चयन किया जाना है। अंशकालीन शिक्षण कार्य हेतु **पश्चिमी सिंहभूम जिला** के योग्यता धारी बेरोजगार युवक/युवतियों से विहित प्रपत्र में **दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 17.01.2026** के अपराह्न 05:00 बजे तक निश्चित रूप से **परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, ITDA (कल्याण शाखा), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा** के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलान्तर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है :-

1. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय टेबो, बंदगाँव।
2. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, थोलकोबाद, मनोहरपुर।
3. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, छोटानागरा, मनोहरपुर।
4. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, चाईबासा।
5. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कुन्द्रुगुटू, बंदगाँव।

क्र०	विषय का नाम	वर्ग	शिक्षकों की आवश्यकता	अनारक्षित	अ० ज० जा०	अ० जा०	आ० क० वर्ग	न्यूनतम योग्यता	परिलब्धि/वृतिका
1	हिन्दी	1 से 6	01	1	0	0	0	संबंधित विषय में स्नात्कोतर/स्नातक एवं एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड०/शिक्षक प्रशिक्षण/उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	200/रू० प्रति घंटी, अधिकतम 04 घंटी एक कार्य दिवस में एवं सप्ताह में 05 कार्य दिवस तक कार्य लिया जायेगा।
2	अंग्रेजी	1 से 6	02	1	1	0	0		
3		7 से 10	01	1	0	0	0		
4	गणित	1 से 6	04	2	2	0	0		
5	विज्ञान	1 से 6	02	1	1	0	0		
6		7 से 10	01	1	0	0	0		
7	भुगोल	7 से 10	01	1	0	0	0		
8	संस्कृत	1 से 6	01	1	0	0	0		
9		7 से 10	02	1	1	0	0		
10	इतिहास	7 से 10	01	1	0	0	0		
11	सामाजिक विज्ञान	1 से 6	01	1	0	0	0		
12	प्राथमिक स्तर के शिक्षक	1 से 6	02	1	1	0	0		
	कुल		19	13	6	0	0		

शिक्षकों की अंश कालीन सेवा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें :-

1. शिक्षकों का कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जायेगा, जिसमें उसी प्रखण्ड के अभ्यार्थी तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जायेगी। जिस प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय संचालित है उस प्रखण्ड के अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। संबंधित प्रखण्ड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाये जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
2. सभी पदों के चयन में सरकार के आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
3. जिलास्तर/प्रखण्ड स्तर पर संबंधित विषय के PG/Graduate/B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपर्युक्त शर्तो पर पूरी तर अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमिटि द्वारा चयन किया जायेगा।
4. शिक्षकों का चयन आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर चयन किया जायेगा। पश्चिमी सिंहभूम (गृह) जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. ST/SC/OBC/EBC/EWS वर्ग अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 45 वर्ष होना आवश्यक है तथा उम्र का गणना 31.12.2025 के आधार पर किया जायेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में रहने की सुविधा नहीं दी जायेगी। दैनिक उपस्थिति के आधार किये गया अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।
8. आवश्यकतानुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जायेगा। सेवा संतोषप्रद रहने पर अगले 6 माह का विस्तार किया जा सकता है। यह सेवा अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगा। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है, इस पर भविष्य में किसी भी स्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही एकरारनामा में वर्णित शर्तो के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
9. आवेदन विहित पत्र में ही स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन पत्र तथा **दिनांक 17.01.2026** के बाद प्राप्त आवेदन को अस्वीकार किया जायेगा।
10. आवेदन हेतु लिफाफा के उपर **विषय का नाम** स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।
11. आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. आवेदन पत्र के साथ आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, तकनीकी योग्यता एवं कार्यनुभव प्रमाण पत्र की (छायाप्रति), इत्यादि स्व–अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. आवेदन हेतु विहित प्रपत्र पश्चिमी सिंहभूम जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.chaibasa.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

31/12/25

जिला कल्याण पदाधिकारी
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

31/12/25

परियोजना निदेशक, ITDA
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा